न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 232/2015/223 आर टी ए

मालाराम पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. नरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभुदयाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. बजरंग लाल पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रातवसर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 31/11 नरेशकुमार आदि बनाम बजरंग लाल आदि

उपस्थित :–

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–19.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया कि रोही मौजा रतनादेसर के खसरा नं. 69 की 2.530 है0 बारानी खसरा नं. 70 की 3.188 है0 बारानी, खसरा नं. 71 की 1.619 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पिता गंगराम उर्फ गंगला नाई की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमे वादी सं. 1 ने खसरा नं. 70 की 12.12 बीघा, वादी सं. 2 ने खसरा नं. 69 की 10 बीघा भूमि दिनांक 03.05.1990 को खरीद कर ली थी व उक्त भूमि खरीद की दिनांक से ही वादीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। वादीगण बैयनामा के आधार पर खातेदार हो चुके है। परन्तु इंतकाल सं. 277 दिनांक 06.06.02 के द्वारा गंगराम उर्फ गंगला की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। वादीगण ने बैयनामा दिनांक 03.05.1990

के आधार पर स्वयं को उक्त खसरा नं. 69 व 70 की समस्त भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर विवादित खसरा नं. 69 व 70 की समस्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने की डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विरूद्ध बिना कोई जांच किये पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वाद डिक्री करने का मुख्य आधार विवादित भूमि को गंगराम उर्फ गंगला की आवंटनशुदा भूमि का बैयनामा को आधार मानकर वाद डिक्री किया है। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित हो कि खसरा नं. 69, 70 व 71 की कुल 7.337 है0 भूमि अकेले गंगराम उर्फ गंगला को आवंटित हुई हो जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण/अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 की गंगराम उर्फ गंगला के साथ बंजर से नौतोड़ की हुई थी जिसमे गंगराम उर्फ गंगला एवं अपीलांट व रेस्पो0 सं. 3 बहिस्सा बराबर के हकदार थे। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने वाद का मुख्य आधार अपने पक्ष मे करवाये गये बैयनामा दिनांक 03.05.1990 को माना है परन्तु वाद दिनांक 03.03. 2011 को तथाकथित बैयनामा के 21 वर्ष वाद प्रस्तुत किया है। 21 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। 21 वर्ष तक बैयनामा को राजस्व अधिकारियों के समक्ष नामान्तरण हेतु क्यों प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त तथाकथित बैयनामा संदेहास्पद एवं फर्जी होने की पूरी पूरी संभावना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रोही मौजा रतनादेसर के खसरा नं. 69 की 2.530 है0 बारानी खसरा नं. 70 की 3.

188 है0 बारानी, खसरा नं. 71 की 1.619 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पिता गंगराम उर्फ गंगला नाई की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमे वादी सं. 1 ने खसरा नं. 70 की 12.12 बीघा, वादी सं. 2 ने खसरा नं. 69 की 10 बीघा भूमि दिनांक 03.05.1990 को खरीद कर ली थी व उक्त भूमि खरीद की दिनांक से ही वादीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। वादीगण बैयनामा के आधार पर खातेदार हो चुके है। परन्तु इंतकाल सं. 277 दिनांक 06.06.02 के द्वारा गंगराम उर्फ गंगला की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.90 से गंगला उर्फ गंगा से खरीद की गई है अपीलांट विक्रेता का पुत्र है। जो ब्यानो मे प्रश्नगत भूमि सन् 71–72 मे उन्हे आवंटित होना कहता है परन्तु प्रथमतः उम्र अपीलांट 2–3 वर्ष 1971–72 मे होना ब्यान मे लिखी उम्र से सिद्ध है द्वितीय नामान्तरण सन् 277 विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत है। जमाबंदी भी प्रस्तुत है जिसमे प्रश्नगत भूमि का खातेदार अपीलांट का पिता था उसके फौत होने पर ही विरासतन अपीलांट के नाम भूमि आई है। वादीगण ने बैयनामा दिनांक 03.05.1990 के आधार पर स्वयं को उक्त खसरा नं. 69 व 70 की समस्त भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर विवादित खसरा नं. 69 व 70 की समस्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने की डिक्री पारित की है जो सही एवं विधिसम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरओ 2011(1) पेज 171, आआरटी 2011 पेज 237, आरआरडी 2002 पेज 607 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन

करने के उपरांत निष्कर्ष है कि कि रोही मौजा रतनादेसर के खसरा नं. 69 की 2.530 है0 बारानी खसरा नं. 70 की 3.188 है0 बारानी, खसरा नं. 71 की 1.619 है0 भूमि अपीलांट के पिता गंगराम उर्फ गंगला नाई की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमे से अपीलांट के पिता ने वादी सं. 1 को खसरा नं. 70 की 12.12 बीघा, वादी सं. 2 को खसरा नं. 69 की 10 बीघा भूमि दिनांक 03.05.1990 को बैचान कर दी थी। बैयनामा के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 व 2/वादीगण खातेदार हो चुके है। परन्तु इंतकाल सं. 277 दिनांक 06.06.02 के द्वारा गंगराम उर्फ गंगला की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि गंगराम उर्फ गंगला के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। बैयनामा के आधार पर खरीदशुदा भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम दर्ज नही हुई है। अपीलांट अपने पिता के नाम दर्ज भूमि जो उनके पिता द्वारा बैचान की जा चुकी है, के संबंध मे अनुतोष प्राप्त नही कर सकते है। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण के स्थान पर सहबन से विरासतन नामान्तरण दर्ज हो गया। जिसके कारण रेस्पो0/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने के योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 232/2015/223 आर टी ए

मालाराम पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. नरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभुदयाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. बजरंग लाल पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रातवसर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 31/11 नरेशकुमार आदि बनाम बजरंग लाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ